

# LOHARDAGA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 597096170221030118


Date : 17-02-2021

प्रभावी : 3 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री GOBARDHAN PRASAD SAHU S/O SUKH SAGAR SAHU,  
मोहल्ला SANJAY GHANDHI PATH LOHARDAGA L  
LOHARDAGA , 835302  
9386198545

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि, आपका नया गृह सं - 0070000311000M0 वार्ड सं 7 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	30.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	30.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		30.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची, LOHARDAGA NAGAR PARISHAD Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- 4 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6 यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. LOHARDAGA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/ढाँचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.